

नूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) *विश्व रिविया*

पीठासीन अधिकारी :- राहुल सेनी, R.A.S.

उनका नाम

तायमणी

बनाम

राजस्थान सरकार

किस वाद का *दादा दुस्सी* *पुस 88 RTA*

सूचना नम्बर :- 114/2021

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से *स्वयं* को व प्रतिवादी की ओर से *चैरकोर राज*
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-21 को *राहुल सेनी, R.A.S.*
नियम पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरु के द्वारा अतिरिक्त निपटारे के
लिए पेश होने पर आदेश करा जाता है और डिफ्री दी जाती है कि -

*दादा वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि क्षेत्र खसरा नं. 267,
268, 415, 417, 423, 424, 425 खता सं. 78 रोही गांव महाराजपुर
में इअंफ्रित मुद्दी पुत्र तिलोकाराम के स्वाम पर तायमणी पुत्री तिलोकाराम
दरप करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु उक्तानुसार
राजस्व रिपोर्ट में अंगल दराभय करें।*

खर्चा पक्षकारण द्वारा अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23-11-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुहर लगाकर
दी गई।



रा
23/11/21

(राहुल सेनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शन के लिए स्टाम्प	फ्लोडर की फीस
4. ... रुपये पर फ्लोडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



ना.सं. 968
24-11-21